TDC-1st (H) Paper-II 04/06/2021

## तलाक (मुस्लिम विवाह-विच्छेद)

तलाक शब्द अरबी मूल के तल्लाका से विकसित है जिसका अर्थ होता है मुक्त करना अथवा छोड़ना। विवाह की प्रकृति संविदात्मक (contractual) होने के कारण यदि कोई भी पक्ष विवाह की शर्तों का उचित रूप से पालन नहीं करता तो तलाक को दूषित्या न्यायसम्मत माना जाता है। कुरान में (LVX) तलाक के सम्बन्ध में कहा गया है कि जब पति अपनी पत्नी से बाँझपन, बीमारी, कुटिल-स्वभाव, अनैतिक व्यवहार या अन्य किसी कारण से नाराज हो तो वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। हजरत मोहम्मद ने भी यह उपदेश दिया है कि यदि तुम अपने पत्नी को उचित रूप से नहीं रख सकते अथवा उसके साथ न्याय नहीं कर सकते तब उसे तलाक दे दो। मुसलमानों में विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया जितनी सरल है,

उतनी कीमती भी दुसरे समाज में देखने को नहीं मिलती।

स्त्रियों को भी अपने पतियों को छोड़ने का अधिकार है। इसे तलाक न कहकर खोला कहते हैं। कुरान में इस अधिकार का उल्लेख है और साथ ही यह भी कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। (कुरान-II 228)

वास्तव में तलाक की वर्तमान व्यवस्था भी प्राचीन अरबी प्रथा 'खोल' का संशोधित रूप है। 'खोल' की प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री के विवाह में मिले 'सदक' अर्थात वधू-मूल्य को वापस करके कभी भी उसे अपने पति से स्वतन्त्र कर सकता था, लेकिन बाद में जब 'सदक' का स्थान 'महर' ने ले लिया तो इसको लौटकर स्त्री को पति से स्वतन्त्र कर लेने का प्रचलन समाप्त हो गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि पत्नी महर लौटाकर विवाह-विच्छेद करना चाहे तो इसकी अनुमति उसे तभी मिलती है जब उसका पति भी इसके लिये तैयार हो। इस प्रकार तलाक के क्षेत्र में आज इस्लामी कानून पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि पुरुष तो अपनी स्वतन्त्र इच्छा से केवल तीन बार 'तलाक' कह देने से सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता था, (तीन तलाक पर कानून बना कर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है- तीन तलाक कानून - 2019) जबकि स्त्री को ऐसे करने के लिए पुरुष को दोषी प्रमाणित करना आवश्यक है। मुसलमानों में विवाह-

विच्छेद न्यायालय की सहायता के अतिरिक्त सामाजिक रूप से भी हो सकता है।

अन्य नियमों एवं संस्थाओं के समान तलाक में भी देश, काल तथा सम्प्रदायों एवं श्रेणियों के आधार पर भिन्नताएँ आ गयी हैं। उदाहरण के लिए सुन्नी समुदाय में तलाक के समय पुरुष जब तलाक शब्द उच्चारित करता है तब किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती परन्तु शिया सम्प्रदाय में गवाह आवश्यक है।